राजस्थान सरकार

न्यायालय एकल माध्यस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना

जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

आर्बिट्रेशन प्रार्थना–पत्र सं. 05 / 2023

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थीगण–
1. श्री गोविन्द दास पुत्र सुखरामदास जाति संत, निवासी कल्याणसिंह की ढाणी, ईन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।		1. श्रीमान सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना। 2. श्रीमान परियोजना निर्देशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उम्मेद हैरिटेट जोधपुर। (भारतमाल परियोजना इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोना)

माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्ध देवगढ़–सांचौर–सिवाना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति के अवार्ड आदेश दिनांक 21.12.2020 जो सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश पुनड़, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री विनोद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 12.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अप्रार्थी संख्या 1 भूमि अवाप्ति सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 21.12.2021 के विरूद्ध दिनांक 13.08.2021 को न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर एवं दिनांक 11.12.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक के निर्माण

जिला कलक्टर बालोतरा

(चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक **5 जून 2018** को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 122 रकबा 2.4699 (अवाप्त की गई भूमि 0.453) हैक्टर बीघा मौजा कल्याणसिंह की ढाणी, पटवारी हल्का इन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त खसरा का अवार्ड भूमि आवाप्ति अधिकारी, सिवाना द्वारा उक्त खसरे में फलदार पौधा अनार की आयु 3 वर्ष मानकर आलोच्य अवार्ड दिनांक 21.12.2021 को पारित कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य अवार्ड में संशोधन करते हुए उक्त खसरान की भूमि में फलदार पौधों की आयु 4 वर्ष मानते हुए पुनः अवार्ड जारी करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया एवं प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब में प्रकट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 05 जून 2018 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु अवाप्ताधीन भूमि के लिए इस कार्यालय द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वसन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3जी के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा निर्धारित कर अवाप्ताधीन भूमि स्थित अनार फलदार पेड़ों के मुआवजे का अवार्ड आदेश दिनांक 21.12.2021 को पारित किया गया था। फलदार पेड़ों का मुआवजा ग्राम कल्याणसिंह की ढाणी के अवार्ड क्र स 01 सर्वेक्षण संख्या 3डी के अनुसार 122 खसरा संख्या में अवाप्त हो रही अनार के पेडों की संख्या 298, अनार के पेड़ों की आयु 3 वर्ष कार्यालय उद्यान निदेशालय, पंत, कृषि भवन जयपुर के पंत्रांक प. 11()नि.उ./नर्सरी/मुआवजा/2006–07/3545–3608 दिनांक 13.07.2006 एवं कार्यालय सहायक

जिला कलक्टर
बालोतरा

निदेशक उद्यान विभाग बाड़मेर कमांक 1536–41 दिनांक 15.12.2020 के अनुसार रूपये 1736.55/– के आधर पर कुल राशि 517491.90/–रू निर्धारित की गयी है। जो प्रार्थी को आवेदन अनुसार उसक बचत खाता में जमा करवा दी गयी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य केवलमात्र भम्रिक होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने से खारीज फरवामया जावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब में प्रकट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 05 जून 2018 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। अवाप्तधीन भूमि की राजस्व रिकॉर्ड अनुसार तहसीलदार/गिरदावर/पटवारी आदि राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से जांच करवाये जाने के उपरांत अनुमोदन करने के बाद केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए की उपधारा 1 के तहत अधिसूचना का.आ. 3905 दिनांक 03.08.2018 को प्रकाशन किया गया। केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने जाने के पश्चात् अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 6168 दिनांक 11.12.2018 राजपत्र में जारी की गयी एवं दो समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 07.01.2019 को प्रकाशन किया गया। धारा 3जी के अनुसार अवाप्तसुदा भूमि का मुआवजा निर्धारण से पूर्व धारा 3डी की अधिसूचना, जो कि राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर दोनों में प्रकाशित की गयी थी, जिससे सम्बधित सभी हितबद्ध व्यक्तियों से धारा 3जी(3) व (4) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी कर स्वयं या विधिक अधिवक्ता के माध्यम से दावे मांगे गये। निर्धारण अवधि में प्राप्त दावे का निस्तारण किया गया। प्रार्थीगण द्वारा धारा 3 डी की अधिसूचना का प्रकाशन होने पर प्रश्नगत अनार के पौधो की आयु अवाप्त भूमि धारा 3ए की जारी अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 के तत्समय 4 वर्ष के होने के सबंध में कोई आपति मय दस्तावेज निर्धारित समयावधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 03.18.2018 के तत्समय अवाप्त भूमि में अनार के पेड़ों की आयु 4 वर्ष नहीं थी। धारा 3ए के तत्समय भूमि की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का जो मुआवजा राशि निर्धारित कर अवार्ड

जिला कलक्टर
बालोतरा

पारित किया गया था, व सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया विधि के प्रवधानों के अन्तर्गत सही पारित किया गया है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अधिवक्ता प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 122 रकबा 2.4699 (अवाप्त की गई भूमि 0.453) हैक्टर बीघा मौजा कल्याणसिंह की ढाणी, पटवारी हल्का इन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा में अवस्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 05 जून 2018 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त अवाप्तसुदा भूमि धारा 3ए का.आ. 3905 दिनांक 03. 08.2018 एवं धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 6168 दिनांक 11.12.2018 को जारी की गई। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि में वर्ष 2017 में फलदार अनार की फसल लगा रखी है। वर्तमान में निर्माणाधीन भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत प्रार्थी कें खेत में अनार के 298 पौधे का मुआवजा तीन वर्ष की आयु निर्धारित कर मुआवजा दिया गया है, जबकि उक्त अनार की फसल के पौधे की वास्तविक उम्र 4 वर्ष है। जिस संबंध में प्रार्थी द्वारा उद्यान विभाग से ड्रीप सिंचाई स्थापित हेतु प्राप्त की गई सब्सीडी आदेश व अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रतियां उपलब्ध कराई गई, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनदेखा कर प्रार्थी का मुआवजा गलत निर्धारित कर अवार्ड पारित किया गया है। उक्त अवार्ड को संशोधित किया जाकर वास्तविकता के आधार पर मुआवजा दिया जाना न्यायौचित है। प्रार्थी ने दिनांक 24.11.2017 को अपने खेत में स्थित अनार की खेती के लिए ड्रीप सिंचाई के उपकरण खरीदे थे, जिसका भौतिक सत्यापन दिनांक 11.01.2018 को फिल्ड इंस्पेक्टर सुभाष वर्मा ने किया था। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के खेत में वर्ष 2017 माह 10 में ड्रिप संयत्र के लिए उद्यान विभाग द्वारा प्रार्थी को 17453 रू की सब्सीडी प्रदान की गई थी। उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया से यह प्रमाणित है कि प्रार्थी के खेत में माह अक्टुम्बर 2017 से अनार की खेती की हुई जो वक्त अवाप्ति के 4 वर्ष की आयु के होने के बावजुद भी 3

जिला कलक्टर
बालोतरा

वर्ष की आयु मानकर गलत मुआवजा निर्धारित किया है, जिसे संशोधित कर पूर्ण राशि प्रार्थी को दिलायी जानी न्यायोचित है।

7. अधिवक्ता प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस में यह भी कथन किया कि प्रार्थी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 के समक्ष उपस्थित होकर 08.03.2021 में आपति दर्ज करवाई गई। जिस पर श्रीमान सक्षम प्राधिकारी द्वारा एनएचएआई को मार्क कर इन्द्राणा पटवारी गिरदावरी रिपोर्ट देखकर प्राथमिक रिपोर्ट जल्द से जल्द कार्यालय को भेजें। उक्त टिप्पणी की गई, लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र पर आज दिन तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। साथ ही प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.04.2021 को श्रीमान जिला कल्क्टर बाड़मेर के समक्ष पेश होकर लिखित आवेदन पेश कर अपने खसरा संख्या 122 में अवस्थित अनार के पौधो की आयु निर्धारण के सत्यापन बाबत् निवेदन किया गया, लेकिन उक्त आवेदन पर भी किसी प्रकार की प्रभावी कार्यवाही आज दिन तक नहीं हुई। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवाप्त सुदा भूमि उक्त खसरा में अनार के पेडों की आयु 03 वर्ष मानकर आलोच्य अवार्ड जारी किया गया, को निरस्त करते हुए अवाप्त सुदा भूमि में प्रार्थी के अनार के पौधें की आयु 04 वर्ष मानते हुए पुनः अवार्ड जारी करने का आदेश फरमावे।

8. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 05 जून, 2018 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 122 रकबा 2.4699 (अवाप्त की गई भूमि 0.453) हैक्टर बीघा मौजा कल्याणसिंह की ढाणी, पटवारी हल्का इन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त खसरा नंबर की 0.453 हैक्टर बीघा भूमि अवाप्त की गई। उक्त खसरान की भूमि अवाप्त हेतु 3ए की अधिसूचना का.आ. 3905 दिनांक 03.08.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सूचित करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 31.08.2018 को प्रकाशित किया गया व धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 6168 दिनांक 11.12.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सचित करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 07.01.2019 को प्रकाशित किया गया। धारा 3ए के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का प्रकाशन

जिला कलक्टर
बालोतरा

होने के बाद धारा 3सी के तहत 21 दिन के अन्दर कोई भी हितधारी अपनी आपतियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है तथा सक्षम प्राधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आपतियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। प्रार्थीगण द्वारा धारा 3ए की अधिसूचना की कार्यवाही के संबंध में कोई आपति मय दस्तावेज निर्धारित समयावधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अवाप्तधीन भूमि की राजस्व रिकॉर्ड अनुसार तहसीलदार/गिरदावर/पटवारी आदि राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से जांच करवाये जाने के उपरांत अधिसूचना धारा 3डी का मसौदा तैयार बाद अनुमोदन कर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजा जाता है। इसके पश्चात् धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना का. आ. 6168 दिनांक 11.12.2018 को जारी की गयी एवं जन साधारण को सूचित करने के लिए दो समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 07.01.2019 को प्रकाशन किया गया तथा धारा 3डी की अधिसूचना के पश्चात् उसमें वर्णित भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्र सरकार में निहित हो गई। समस्त हितबद्ध व्यक्तियों से धारा 3जी (3) व (4) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी कर स्वयं या विधिक अधिवक्ता के माध्यम से दावे मांगे गयें। निर्धारित अवधि में जो दावे प्राप्त हुए, उन्हें सुनकर उनका निस्तारण किया गया है, लेकिन प्रार्थी द्वारा धारा 3डी की अधिसूचना का प्रकाशन होने पर प्रश्नगत अनार के पौधों की आयु के संबंध में धारा 3ए की जारी अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 के तत्समय 4 वर्ष के होने के संबंध में कोई आपति मय दस्तावेज निर्धारित समयावधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 3जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवं धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 के तत्समय में अवाप्तसुदा भूमि की भौतिक स्थिति, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किस्म, प्रचलित बाजार दर व डीएलसी दर आदि की स्थिति के अनुसार उक्त अवाप्त सुदा भूमि का निर्धारित मुआवजा आलोच्य अवार्ड जारी किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों एवं सारहीन होने पर खारीज योग्य है।

9. अप्रार्थी के योग्य अधिवकता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि सक्षम प्राधिकारी ने धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 03.08.2018 को भूमि की प्रचलित दर के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर भूमि अवार्ड जारि कर दिया गया, इसलिए अवाप्त भूमि के मुआवजे के अनुसार ही पेड़ पौधों के मुआवजे का निर्धारण भी धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 03.08.2018 की स्थिति अनुसार मौजुदा अनार के पेड़ की आयु, स्थिति आदि

जिला कलक्टर
बालोतरा

मानकों से संबंधित ठोस साक्ष्य लेकर उनको ध्यान में रखते हुए किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि पर स्थित 298 अनार के पौधों की तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट का भौतिक सत्यापन करवाया गया व पौधों की गिनती करवायी गई। पटवारी हल्का से गिरदावरी प्राप्त कर गिरदावरी अनुसार पौधों की आयु की गणना की गई। सहायक निदेशक उद्यान, बाड़मेर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने प्रार्थी के समस्त पौधों की आयु 3 वर्ष मानी है। तदोपरान्त बाड़मेर व जोधपुर की फल मंडियों से अनार के पौधों का औसत बाजार भाव प्राप्त कर उपज के आधार पर अनार के पौधों की मुआवजा राशि की गणना की गई। कमेटी ने प्रार्थी के 3 वर्ष के प्रति पौधें का मूल्य राशि 1736.55/– रूपये माना है, जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी ने प्रार्थी के प्रश्नगत 298 पौधों की कुल मुआवजा राशि 5,17,491.90/–रू निर्धारित कर दिनांक 21.12.2021 को फलदार पेड़ों के मुआवजा का अवार्ड आदेश पारित कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के 298 अनार के पौधों की आयु 3 वर्ष मानकर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, लेकिन प्रार्थी अनार के पौधों की आयु 3 वर्ष नहीं मानकर बिना किसी आधार के 4 वर्ष बता रहा है, जबकि देखा जाए तो भूमि अवाप्ति अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3ए के तत्समय प्रार्थी के पौधें 3 वर्ष के भी नही थे। इस संबंध में प्रार्थी स्वयं ने प्रस्तुत प्रार्थना में स्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत 298 अनार के पौधों को वर्ष 2017 में अवाप्त भूमि पर लगाया था, जिनकी सिंचाई हेतु दिनांक 24.11.2017 ड्रीप के उपकरण खरीदे थे। उक्त ड्रीप संयंत्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 11.01.2018 को फील्ड इंस्पेक्टर सुभाष वर्मा के द्वारा किया गया था, निकी कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान बाड़मेर द्वारा दिनांक 09.02.2018 को सब्सिडी स्वीकृत की गई थी। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा वर्ष 2017 में अनार के 298 पौधों की बुआई करना स्वीकार किया है और प्रस्तुत प्रकरण में अवाप्ति अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3ए वर्ष 2018 में जारी की गई थी। धारा 3ए के वर्ष 2018 की स्थितिनुसार प्रार्थी के प्रश्नगत पौधे करीबन मात्र 1 वर्ष के थे। साथ ही प्रार्थी ने मद संख्या 4 में अंकित किया है कि प्रार्थी ने प्रश्नगत 298 अनार के पौधे की आयु 4 वर्ष के होने के संबंध में प्रार्थी द्वारा 08.03.2021 को सक्षम प्राधिकारी सिवाना के समक्ष पेश की गयी, जो कि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 03.08.2018, धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 11.12.2018 के जारी होने व अवार्ड दिनांक 21.12.2021 के पारित होने के बाद पेश किया जाना साबित होता है, जबकि कानूनन धारा 3ए व 3डी के तहत जारी अधिसूचना के प्रकाशन की निर्धारित अवधि में ही आपति दर्ज करायी जा सकती है, न कि जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन की अवधि समाप्त होने के बाद दर्ज करायी जा सकती है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 08.03.2021 को दर्ज करायी गई आपति अवधि बाहर है, जिस पर कोई कार्यवाही व जांच कानूनन नहीं की जा सकती है। धारा 3ए के तत्समय में फलदार पेड़ की गिनती

जिला कलक्टर
बालोतरा

राजस्व विभाग से करवायी गई व गिरदावरी के अनुसार आयु, उपज व बाजार भाव का निर्धारण सहायक निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में कठित कमेटी द्वारा किया गया। तदनुसार फलदार पेड़ की मुआवाजा राशि का निर्धारण कर अवार्ड पारित किया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

10. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृतसर–कांडला परियोजना (देवगढ, जिला जोधपुर–सांचौर, जिला जालोर) खण्डके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के के किमी. 455.243 से किमी 482.243 (सिवाना) तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील सिवाना, जिला बालोतरा की तहसील सिवाना के गांवों (मुठली, पादरडी खुर्द, कल्याणसिंह की ढाणी, वालियाना, देवपुरा, धारणा, मिठौड़ा व पादरू) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 05 जून 2018 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी सिवाना को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 122 रकबा 2.4699 (अवाप्त की गई भूमि 0.453) हैक्टर बीघा मौजा कल्याणसिंह की ढाणी, पटवारी हल्का इन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त खसरा नंबर की 0.453 हैक्टर बीघा भूमि अवाप्त की गई। उक्त खसरान की भूमि अवाप्त हेतु 3ए की अधिसूचना का.आ. 3905 दिनांक 03.08.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सूचित करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 31.08.2018 को प्रकाशित किया गया व धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 6168 दिनांक 11.12.2018 को जारी की गई, जिसका जन साधारण को सूचित करने हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 07.01.2019 को प्रकाशित किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की मुख्य आपति यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त खसरा संख्या 122 की अवाप्तसुदा भूमि के आलोच्य अवार्ड प्रार्थी के अवाप्तसुदा भूमि में फलदार पेड़ों की आयु 4 वर्ष मानकर करना चाहिए था, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 समक्ष प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी द्वारा आलोच्य अवार्ड फलदार पेड़ों की आयु 3 वर्ष मानते हुए किया गया हैं, को निरस्त करते हुए उक्त खसरान की अवाप्तसुदा भूमि में फलदार पेड़ों की आयु 4 वर्ष मानकर पुनः अवार्ड जारी किया जाए। इस प्रकरण में यह देखना आवश्यक है कि अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) के अनुसार अवाप्तधीन भूमि व उस अवस्थित सरंचनाओं/परिसंपतियों, भौतिक स्थिति, पेड़ की आयु आदि के मुआवजे

जिला कलक्टर
बालोतरा

का निर्धारण धारा 3ए की अधिसूचना की तारीख को प्रचलित मूल्य, स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है तथा धारा 3ए की अधिसूचना के बाद अवाप्त भूमि पर कोई निर्माण या परिवर्तन होने पर मुआवजा देय नहीं होगा। इस संबंध में पत्रावली में संलग्न चौसाला खसरा गिरदावरी संवत् 2070 से 2074 का अवलोकन किया गया, जिसमें सवंत् 2070 से 2074 (सन 2017) तक गिरदारी में फलदार पेड़ का होना अंकित नहीं होना पाया एवं संवत् 2075 वक्त धारा 3ए अधिसूचना जारी दिनांक 03.08.2018 को फलदार पौधा 1 वर्ष का होना प्रतीत होता है। इससे स्पष्ट होता है कि जब उक्त प्रार्थी के अवाप्तसुदा भूमि के खसरा की भूमि 3ए की अधिसूचना जारी दिनांक 03.08.2018 के तहत अवाप्त की गई थी, तब उक्त आलोच्य खसरा संख्या 292 की अवाप्त भूमि में फलदार पौधा 1 वर्ष का होना प्रतीत होता है। साथ ही सक्षम प्राधिकारी से तलब किया गया मूल अभिलेख अवलोकन से किया जिसमें पाया जाता है कि सहायक निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी जो फलदार पौधों की आयु, औसत उपज व बाजार भाव निकालने में दक्ष थी, के द्वारा प्रार्थी के 298 अनार के पौधों की आयु 3 वर्ष मानकर मुआवजा राशि का निर्धारण करना बताया गया एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा धारा 3ए अधिसूचना जारी 03.08.2018 के तत्समय प्रचलित बाजार मूल्य, स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए आलोच्य अवार्ड पारित होना पाया गया। पत्रावली के संलग्न सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब में उक्त मार्ग के निर्माण हेतु फलदार पेड़ों का मुआवजा ग्राम कल्याणसिंह की ढाणी के अवार्ड क्र स 01 सर्वेक्षण संख्या 3डी के अनुसार 122 खसरा संख्या में अवाप्त हो रही अनार के पेडों की संख्या 298, अनार के पेड़ों की आयु 3 वर्ष कार्यालय उद्यान निदेशालय, पंत, कृषि भवन जयपुर के पत्रांक प. 11()नि.उ./नर्सरी/मुआवजा/2006–07/3545–3608 दिनांक 13.07.2006 एवं कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान विभाग बाड़मेर क्रमांक 1536–41 दिनांक 15.12.2020 के अनुसार रूपये 1736.55/– के आधर पर कुल राशि 517491.90/–रू निर्धारित की गयी है। जो प्रार्थी को आवेदन अनुसार उसके बचत खाता में जमा करवा दी गयी है तथा इस कार्यालय द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वसन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3जी के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा निर्धारित कर अवाप्ताधीन भूमि के मुआवजे का अवार्ड आदेश दिनांक 21.12.2021 को पारित होना बताया गया। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के 298 अनार के पौधों की आयु 3 वर्ष मानकर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, लेकिन प्रार्थी अनार के पौधों की आयु 3 वर्ष नहीं मानकर बिना किसी आधार के 4 वर्ष बता रहा है, जबकि देखा जाए तो भूमि अवाप्ति अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3ए 03.08.2018 के तत्समय प्रार्थी के पौधें 3 वर्ष के भी नही थे। इस संबंध में प्रार्थी स्वयं ने प्रस्तुत प्रार्थना में स्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत 298 अनार

जिला कलक्टर
बालोतरा

के पौधों को वर्ष 2017 में अवाप्त भूमि पर लगाया था, जिनकी सिंचाई हेतु दिनांक 24.11.2017 ड्रीप के उपकरण खरीदे थे। उक्त ड्रीप संयंत्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 11.01.2018 को फील्ड इंस्पेक्टर सुभाष वर्मा के द्वारा किया गया था, निकी कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान बाड़मेर द्वारा दिनां 09.02.2018 को सब्सिडी स्वीकृत की गई थी। । इस प्रकार प्रार्थी द्वारा वर्ष 2017 में अनार के 298 पौधों की बुआई करना स्वीकार किया है और प्रस्तुत प्रकरण में अवाप्ति अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3ए वर्ष 2018 में जारी की गई थी। धारा 3ए के वर्ष 2018 की स्थितिनुसार प्रार्थी के प्रश्नगत पौधे करीबन मात्र 1 वर्ष के थे। इससे स्पष्ट यह होता है कि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 को अप्रार्थी गोविन्द दास की अवाप्त की गई भूमि में फलदार पेड़ की आयु 4 वर्ष नहीं थी। उक्त अधिसचूना दिनांक 03.08.2018 के बाद किसी भी भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण/पेड़ पौधे आरोपित किये गये हो तो उसका काई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। अलावा इसके प्रार्थीगण द्वारा धारा 3ए एवं 3डी की अधिसूचना की कार्यवाही के संबंध में कोई आपति मय दस्तावेज निर्धारित समयावधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। लेकिन प्रार्थी ने संख्या 4 में अंकित किया है कि प्रार्थी ने प्रश्नगत 298 अनार के पौधे की आयु 4 वर्ष के होने के संबंध में दिनांक 08.03.2021 को सक्षम प्राधिकारी सिवाना के समक्ष पेश की गयी, जो कि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 03.08.2018, धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 11.12.2018 के जारी होने व अवार्ड दिनांक 21.12.2020 के पारित होने के बाद पेश किया जाना साबित होता है, जबकि कानूनन धारा 3ए व 3डी के तहत जारी अधिसूचना के प्रकाशन की निर्धारित अवधि में ही आपति दर्ज करायी जा सकती है, न कि जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन की अवधि समाप्त होने के बाद दर्ज करायी जा सकती है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 08.03.2021 को दर्ज करायी गई आपति अवधि बाहर है, जिस पर कोई कार्यवाही व जांच कानूनन नहीं की जा सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा **"राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3सी के तहत 21 दिन के अन्दर कोई भी भू हितधारी अपनी आपतियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है"**, की पालना नहीं की गई। जहां तक प्रार्थी के अधिवक्ता का मूल अभिकथन हैं कि प्रार्थी के उक्त खसरा संख्या के अवाप्तसुदा भूमि में फलदार पेड़ों की आयु 4 वर्ष थी, तो इसके समर्थन मे प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि तत्समय अधिनियम की धारा 3ए अधिसूचना जारी दिनांक 03.08.2018 को प्रार्थी के उक्त खसरा संख्या के अवाप्तसुदा भूमि में फलदार पेड़ों की आयु 4 वर्ष थी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 भूमि अवाप्ति अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी), सिवाना द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 21.12.2021 अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति), सिवाना ने अधिनियम 1956 व अधिनियम 2013 के समस्त लागू

जिला कलक्टर
बालोतरा

प्रावधानों का पूर्ण पालना करते हुए अवार्ड पारित गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
एकल माध्यस्थ
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना
जिला कलक्टर, बालोतरा।